न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती रीना छिम्पा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :13/2019

1. सोहन सिह पुत्र बारा सिह जाति रामगढिया सिख निवासी चक अरायण तहसील श्री करणपुर।

--प्रार्थी--

बनाम

1. छिन्द्र सिह उर्फ माणा पुत्र गुरदेव सिह जाति तरखान निवासी अरायण तहसील श्री करणपुर।
2. महेन्द्र सिह उर्फ भुट्टो पुत्र गुरदेव सिह जाति तरखान निवासी अरायण तहसील श्री करणपुर।
3. कुलदीप सिह पुत्र मल सिह जाति तरखान निवासी अरायण तहसील श्री करणपुर।
4. हरदीप सिह पुत्र मल सिह जाति तरखान निवासी अरायण तहसील श्री करणपुर।
5. वकील सिह पुत्र छिन्द्र सिह उर्फ माणा जाति तरखान निवासी अरायण तहसील श्री करणपुर।
6. गुरमीत सिह पुत्र महेन्द्र सिह उर्फ भुट्टो जाति तरखान निवासी अरायण तहसील श्री करणपुर।
7. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व, श्री करणपुर।

--अप्रार्थीगण--

प्रार्थी की ओर से:- श्री अशोक जोशी अधिवक्ता

अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 :- एकपक्षीय कार्यवाही

अप्रार्थी संख्या 7 :- राजपैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 28/8/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 37 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2034 ता 37 के खाता संख्या 47 के मु.न. 39 व 40 की कुल 19 बीघा 12 बिस्वा नहरी भूमि में से 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के दादा फुमण सिह पुत्र चुहड सिह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अप्रार्थीगण के दादा चूहड सिह का देहान्त आज से करीबन 45 वर्ष पूर्व हो चुका है। फूमन सिह की मृत्यू उपरान्त उसके नाम दर्ज उक्त भूमि उसके वारिसो भाग सिह, गुरदेव सिह व अमर सिह को प्राप्त हुई। फुमण सिह की मृत्यू के पश्चात गुरदेव सिह आदि के परिवार आर्थिक तौर बदहाली के कगार पर पहुंच गये तथा इनके परिवार के जीवन निर्वाह पर संकट आ गया। इसलिये उक्त तीनो भाईयो में से अप्रार्थीगण के पिता व दादा गुरदेव सिह ने अपने हिस्सा की मु.न. 31 के किला न. 20 सालम भुमि का बेचान राशि 5000/- रुपए में मुझ प्रार्थी के पक्ष में जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 10.01.1979 को कर दिया एंव कब्जा आराजी मय पानी मुझ प्रार्थी को संभला दिया। ख़रीद की दिनांक से प्रार्थी साधिकार उक्त खरीद शुदा भुमि पर निरन्तर शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चले आ रहा है। प्रार्थी ने बैयनामा दिनाक 10.01.1979 की प्रति राजस्व रिकॉर्ड में इन्तकाल प्रार्थी के नाम दर्ज करने के लिए तत्कालीन पटवारी को प्रस्तुत कर निवेदन किया, जिस पर पटवारी हलका ने विश्वास दिलाया कि पहले फुमण सिह का विरासतन इन्तकाल दर्ज कर शीघ्र ही वह बैयनामा के आधार पर प्रार्थी के नाम इन्तकाल दर्ज कर देगा। उसके बाद आज तक उक्त वादगत भूमि पर प्रार्थी के परिवार का कब्जा काश्त चला आ रहा है। गुरदेव सिह की मृत्यू करीबन 20 वर्ष पूर्व हो चुकी है। आज से 5 रोज पूर्व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 प्रार्थी के पास आए तथा ऐलानिया कहा कि वे इस भूमि पर जबरन कब्जा करेगें। अथवा अन्यत्र व्यक्ति को बेचान कर देगे। इस पर प्रार्थी ने राजस्व अभिलेख की प्रतियां प्राप्त की और पाया कि राजस्व पटवारी द्वारा आज तक भी फुमण सिह की मृत्यू उपरान्त विरासतन इन्तकाल दर्ज नही किया। और ना ही प्रार्थी के बैयनामा के आधार पर खरीद का इन्तकाल दर्ज किया है। यदि अप्रार्थीगण वादगत भूमि का अन्यत्र व्यक्ति को बेचान कर देगे तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। और प्रार्थी को खरीदशुदा भूमि से वंचित होना पडेगा। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। प्रार्थी अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोक पाने का अधिकारी है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, एवं राईट एण्ड टाईटल प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्व इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण चक 37 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 18/17 के मु.न. 31 के किला न. 1 ता 3, 8 ता 13, किला न. 17 ता 20 सालम-सालम किला न. 21 ता 24 प्रत्येक 0.228 हैक्टर कुल 4.201 हैक्टर नहरी भूमि तथा मु.न. 40 के किला न. 1 व 3 सालम-सालम, किला न. 2/2 की 0.127

(रीना)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

Scanned by CamScanner

कुल 0.633 हैक्टर नहरी दोनो मुरब्बो की कुल 4.834 हैक्टर नहरी भूमि में से फुमण सिह के हिस्सा की 0.806 हैक्टर भूमि में से गुरदेव सिह पुत्र फुमण सिह के हिस्सा की 1 बीघा भूमि जो प्रार्थी द्वारा जरिये बैयनामा किया गया है। में प्रार्थी के कब्जा काश्त में कोई दखल अंदाजी करने अथवा करवाने, अन्यत्र रहन, वैय किसी प्रकार से व्ययनित करने से सदैव के लिये बाज व ममनू रहे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया प्रार्थी संख्या 1 ता 6 बाद तामील उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। जवाव स्टेट नही करने पर जवाब स्टेट बन्द किया गया।

बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में चक 7 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 18/17 के मु.न. 31 के किला न. 1 ता 3, 8 ता 13, किला न. 17 ता 20 सालम-सालम किला न. 21 ता 24 प्रत्येक 0.228 हैक्टर कुल 4.201 हैक्टर नहरी भूमि तथा मु.न. 40 के किला न. 1 व 3 सालम-सालम, किला न. 2/2 की 0.127 हैक्टर कुल 0.633 हैक्टर नहरी दोनो मुरब्बो की कुल 4.834 हैक्टर नहरी भूमि में से फुमण सिह के हिस्सा की 0.806 हैक्टर भूमि में से गुरदेव सिह पुत्र फुमण सिह के हिस्सा की 1 बीघा (मु.न. 31 के किला न. 20 की 0.253 हैक्टर भूमि) भूमि जो प्रार्थी द्वारा जरिये बैयनामा खरीद किया गया, के सम्बन्ध में अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है। सभी अप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। प्रार्थी को गुरदेव सिह से करवाये गए बैयनामा से कोई हक प्राप्त होना है या नही यह तथ्य मूलवाद में साक्ष्य से तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तीनो बिन्दूओ पर विचार किया गया प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सतुलन, राईट एवं टाईटल प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य हैं।

उपर्युक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाकर प्रकरण में दिनांक 03.04.2019 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूलवाद के निर्णय तक स्थायी किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 28/8/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

{श्रीमती रीना छिम्पा आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

Scanned by CamScanner